<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>
<u>पर्यटन अनुभाग</u>
संख्या-315/2023/1725/41-2023-174(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2023

<u>संख्या-281/2023/1436/001-41-2023</u>-174-**<u>बजट-2021, दिनांक 28 मार्च, 2023</u>**

<u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 10220/मु0म0सं0यो0(68)/2021, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुख्यमत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के 02 वि0स0क्षेत्रों के अन्तर्गत चयनित स्थलों के पर्यटन विकास कार्य हेतु जारी शासनादेश संख्या-281/2023/1436/001-41-2023-174-बजट-2021, दिनांक 28 मार्च, 2023 के पृष्ठांकन के बिन्दु सं0-04 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बिजनौर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।**
6- प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मुरादाबाद मण्डल।
11- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बिजनौर।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।